रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 1987/फाल्गुन 4, 1908
NO. 80] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 1987/PHALGUNA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1987

का. आ. 114(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण)

अधिकरण गठित करती है, जिसमें गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायधीश, श्री न्यायमूर्ति आर. के. मनिसाना सिंह होंगे ।

[फा. सं. 9/14/87-एन. ई.-1]
आर. वासुदेवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New elhi, the 23rd February, 1987

NOTIFICATION

S.O. 114(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice R.K. Manisana Singh, Judge of the Gauhati High Court.

[F. No. 9|14|87-NE.I]
R. VASUDEVA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987